requirements of accountability of the enterprises to Parliament and their need for freedom in day-to-day operations. While Parliament must oversee and review the performance of public undertakings with a view to promoting and safeguarding the public interest involved, the manner of achieving this purpose should be such that it does not weaken the initiative of the management and thus affect its efficiency. The general criterion that can be supplied to determine the extent of Parliamentary review is that it should not extend to matters of day-to-day administration. Parliament should be primarily concerned with the efficiency of the overall operations of the enterprise rather than with day-to-day operations. From this point of view, it is necessary to develop healthy conventions on the nature of information etc. sought in Parliament which are consistent with the special needs of the Public enterprises".

स्कूटरों का क्रय और विक्रय

3781. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कुछ ऐसे मामलों के बारे में जांच की है जिनमें कार तथा स्कूटर खरीदे गये और निर्धारित अवधि समाप्त होने से पहले बेच दिये गये थे;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार के कितने राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध इस की जांच की जा रही है; और

(ग) उनमें भारतीय सेना के कमीशन प्राप्त अधिकारी कितने हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) जी हां।

(ख) तीन।

(ग) दो।

स्कूटरों के क्रय एवं विक्रय की जांच

3782. **श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी 1967 से अब तक केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने ऐसे कितने व्यक्तियों के विरुद्ध खुली जाँच की है जिन्होंने कार और स्कूटर खरीद कर उन्हें निर्धारित अवधि के समाप्त होने से पहले ही बेच दिया है;

(ख) उनमें से कितने लोगों के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया है ; और

(ग) कितने लोगों पर न्यायालय द्वारा जुर्माना किया गया था और इस संबंध म जुर्माने के रूप में सरकार ने कितनी धनराशि वसूल की है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 258।

(ख) 190।

(ग) 72 और 1,40,250 रु०।

IMPORT CONTROL SCHEDULE

3783. SHRI SITARAM KESRI :
SHRI S. K. TAPURIAH :

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether the Tariff Revision Commission has made any recommendations about import control schedule;

(b) if so, the details thereof; and

(c) Government's reaction thereto ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI) : (a) The Tariff Revision Committee has submitted a report on the revision of the Import Trade Control Schedule and allied matters.